(8)

# न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0 खान
आई.ए.एस.

थम अपील संख्या 82/2021

मला देवी पत्नि स्व0 सुल्तान सिंह, ग्रा0पो0 भालोठ, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं पीपीओ नं0 113455 (आर) मो0न0 9950700745

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (कोषाधिकारी) झुंझुनूं।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

**आदेश**

दिनांक 10.06.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 13.05.2021 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 82/2021 पर दिनांक 13.05.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (कोषाधिकारी) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (कोषाधिकारी) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (कोषाधिकारी) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2020/1649–50 दिनांक 13.05.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (कोषाधिकारी) झुंझुनूं ने पत्रांक पेंशन/पीसीआर/2021/72 दिनांक 26.05.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पेंशनर श्रीमती बिमला देवी पत्नि स्व0 श्री सुल्तान सिंह, PPO कमांक 113455 का Pre 2016 का फिक्शेसन डिस्पेच कमांक 757318–20 दिनांक 26.05.2021 के द्वारा कर मूल पत्रावली संबंधित बैंक को अगिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय के डिस्पेच कमांक 71 दिनांक 26.05.2021 के द्वारा भिजवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (कोषाधिकारी) झुंझुनूं द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक पेंशन/पीसीआर/2021/72 दिनांक 26.05.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पेंशनर श्रीमती बिमला देवी पत्नि स्व0 श्री सुल्तान सिंह, PPO कमांक 113455 का Pre 2016 का फिक्शेसन डिस्पेच कमांक 757318–20 दिनांक 26.05.2021 के द्वारा कर मूल पत्रावली संबंधित बैंक को अगिम कार्यवाही हेतु उनके कार्यालय के डिस्पेच कमांक 71 दिनांक 26.05.2021 के द्वारा भिजवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 10.06.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/06/21

(यू0डी0 खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं